

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-350/मागित

Authenticated REGD. NO. D. L.-33004/99

मनसुख एल. मंडाविया  
पोत परिवहन राज्य मंत्री



MANSUKH L. MANDAVIYA  
Minister of State for Shipping

# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 631]

नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 17, 2017/आषाढ़ 26, 1939

No. 631]

NEW DELHI, MONDAY, JULY 17, 2017/ASADHA 26, 1939

पोत परिवहन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 जुलाई, 2017

सा.का.नि. 883(अ).—केन्द्रीय सरकार वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 (1958 का 44) की धारा 99 के साथ पठित धारा 457 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और वाणिज्य पोत परिवहन (चलत उन्मोचन प्रमाणपत्र-सह-सीफेयरर पहचान दस्तावेज) नियम, 2001 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ और लागू होना.— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वाणिज्य पोत परिवहन (चलत उन्मोचन प्रमाणपत्र) नियम, 2017 है।  
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से एक सौ अस्सी दिन के पश्चात् प्रवृत्त होंगे।  
(3) ये उस भारतीय नागरिक को लागू होंगे जो इन नियमों के नियम 4 के अधीन विनिर्दिष्ट पात्रता शर्तों को पूरा करता है।
2. परिभाषाएं.—(1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—  
(क) “अधिनियम” से वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 (1958 का 44) अभिप्रेत है ;  
(ख) “अनुमोदित प्रशिक्षण संस्थान” से वाणिज्य पोत परिवहन (सीफेयररों के लिए प्रशिक्षण, प्रमाणन और निगरानी के मानक) नियम, 2014 के नियम 4 के खंड (8) के अधीन यथापरिभाषित अनुमोदित प्रशिक्षण संस्थान अभिप्रेत है ;  
(ग) “प्ररूप” से इन नियमों से अनुलग्न प्ररूप अभिप्रेत है ;  
(घ) “प्रधान अधिकारी” से वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम की धारा 8 के अधीन नियुक्त पत्तन का प्रधान अधिकारी अभिप्रेत है ;

- (ड) "पोत मास्टर" से अधिनियम की धारा 11 की उप-धारा (1) के अधीन नियुक्त पत्तन का पोत मास्टर या ऐसा अन्य अधिकारी, जो पोत परिवहन महानिदेशक द्वारा प्राधिकृत किया जाए, अभिप्रेत है।
- (2) उन शब्दों और पदों के अतिरिक्त जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, के क्रमशः वही अर्थ होंगे जो उनके उसमें हैं।
3. चलत उन्मोचन प्रमाणपत्र के लिए आवेदन.—(1) भारत का ऐसा कोई नागरिक, जो नियम 4 में यथाविनिर्दिष्ट पात्रता शर्तों को पूरा करता है और चलत उन्मोचन प्रमाणपत्र अभिप्राप्त करने का इच्छुक है, पोत परिवहन मास्टर को आवेदन करेगा।
- (2) प्रत्येक ऐसा आवेदन इन नियमों से संलग्न प्ररूप 1 में और ऐसी रीति में होगा जो पोत परिवहन महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए।
4. चलत उन्मोचन प्रमाणपत्र अभिप्राप्त करने की पात्रता.—(1) आवेदक भारत का नागरिक होगा।
- (2) आवेदक चिकित्सक दृष्ट्या योग्य होगा और पोत परिवहन (चिकित्सा परीक्षा) नियम, 2000 के उपाबंध 4 और 5 के अधीन विहित प्ररूप में इस आशय का एक वैध प्रमाणपत्र रखेगा कि वह पोतों के फलक पर नियोजित किए जाने के लिए चिकित्सक दृष्ट्या योग्य है।
- (3) चलत उन्मोचन प्रमाणपत्र के जारी किए जाने के लिए आवेदक को अनुमोदित प्रशिक्षण संस्थान में निम्नलिखित मौलिक सुपरिचय पाठ्यक्रम पूरा किया होना चाहिए और इस आशय का प्रमाण रखता है, अर्थात् :—
- (1) वैयक्तिक उत्तरजीवी तकनीक (पीएसटी) या उत्तरजीवी क्राफ्ट या बचाव फलकों में दक्षता (पीएससीआरबी)।
  - (2) अग्नि निवारण और अग्निशमन (एफपीएफएफ) या उन्नत अग्निशमन (एएफएफ)।
  - (3) प्रारम्भिक प्राथमिक उपचार (ईएफए) या प्रथम चिकित्सा उपचार (एमएफए) या चिकित्सा देख-रेख (एमसी)।
  - (4) वैयक्तिक सुरक्षा और सामाजिक उत्तरदायित्व (पीएसएसआर)।
  - (5) पदाभिहित सुरक्षा कर्तव्यों सहित सीफेयरों के लिए सुरक्षा प्रशिक्षण (एसटीएसडीएसडी) या पोत सुरक्षा अधिकारी (एसएसओ)।
- (4) आवेदक अठारह वर्ष की आयु से कम का नहीं होगा।
- (5) आवेदक दसवीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।
5. फीस.—(1) चलत उन्मोचन प्रमाणपत्र अभिप्राप्त करने के लिए या उसको पुनः जारी करने के लिए या उसके नवीकरण या उसकी दूसरी प्रति जारी करने के लिए फीस सात सौ रुपये, जो अप्रतिदेय होगी, पोत परिवहन मास्टर को संदेय होगी।
- (2) पोत परिवहन महानिदेशक द्वारा फीस के संदाय का पुनरीक्षण किया जा सकेगा, तथापि, फीस पंद्रह सौ रुपये से अधिक नहीं होगी।
- (3) फीस का उक्त संदाय ई-संदाय द्वारा किया जाएगा या जैसा पोत परिवहन महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।
6. चलत उन्मोचन प्रमाणपत्र का जारी किया जाना.—(1) पोत परिवहन मास्टर आवेदक की वर्णनात्मक विशिष्टियों को प्रविष्ट करने और चलत उन्मोचन प्रमाणपत्र पर फोटो चिपकाने, अपने हस्ताक्षर करने तथा शासकीय मुद्रा लगाने के पश्चात् उसे ऐसे आवेदक को जारी करेगा, जो नियम 4 के अधीन उपबंधित पात्रता की सभी शर्तों को पूरा करता है।
- (2) इन नियमों के अधीन जारी चलत उन्मोचन प्रमाणपत्र प्ररूप 2 में होगा और उसे क्रम संख्यांकित किया जाएगा।
- (3) चलत उन्मोचन प्रमाणपत्र (च.उ.प्र.) आवेदन की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन के भीतर प्रेषित किया जाएगा।

- (4) आवेदन अस्वीकृत किए जाने की दशा में आवेदन की अस्वीकृति के कारण आवेदक को सूचित किए जाएंगे।
7. चलत उन्मोचन प्रमाणपत्र का रजिस्टर.—पोत परिवहन मास्टर, समुद्री यात्रियों को जारी चलत उन्मोचन प्रमाणपत्रों के प्रतिपण का रजिस्टर रखेगा।
8. विधिमान्यता की अवधि.—(1) इन नियमों के अधीन जारी चलत उन्मोचन प्रमाणपत्र दस वर्ष की अवधि के लिए विधिमान्य होगा और समाप्ति पर या समाप्ति की तारीख से पहले एक वर्ष के भीतर एक बार दस वर्ष की अतिरिक्त अवधि के लिए पोत परिवहन मास्टर को सात सौ रुपये की विहित फीस के साथ धारक से प्ररूप 3 में आवेदन पर नवीकृत किया जा सकेगा, यदि उसका चलत उन्मोचन प्रमाणपत्र इन नियमों के अधीन रद्द नहीं किया गया है, प्रत्याहृत या निलंबित नहीं किया गया है।
- (2) यदि सीफेयरर के चलत उन्मोचन प्रमाणपत्र की वैधता की अवधि समुद्री यात्रा के दौरान समाप्त हो जाती है तो वह समुद्री यात्रा के समाप्त होने तक वैध बना रहेगा।
9. चलत उन्मोचन प्रमाणपत्र का रद्दकरण, प्रत्याहरण या निलंबन.—(1) जहां पोत परिवहन महानिदेशक को यह समाधान हो जाता है कि सीफेयरर ने अधिनियम की धारा 190 में निर्दिष्ट प्रकृति का अवचार किया है या उसके द्वारा प्राप्त की गई रिपोर्ट में सीफेयरर ने धारा 192 में विनिर्दिष्ट परिस्थितियों में अपने पोत का अभित्याग कर दिया है या अधिनियम की धारा 195 की उप-धारा (2) में निर्दिष्ट प्रकृति के अपराध का सिद्धदोष ठहराया गया है तो वह पोत परिवहन मास्टर को यह निदेश दे सकेगा कि ऐसे सीफेयरर का चलत उन्मोचन प्रमाणपत्र ऐसी अवधि के लिए, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, रद्द या प्रत्याहृत या निलंबित हो जाएगा
- (2) यदि सीफेयरर अधिनियम की धारा 194 में उल्लिखित कार्यों में से कोई कार्य करने के अपराध का दोषी है या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन अपराध का सिद्धदोष है, महानिदेशक पोत परिवहन मास्टर को निदेश दे सकेगा कि ऐसे सीफेयरर का चलत उन्मोचन प्रमाणपत्र, ऐसी अवधि के लिए, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, रद्द या प्रत्याहृत या निलंबित हो जाएगा।
- (3) जहां पोत परिवहन महानिदेशक का यह समाधान हो जाता है कि इन नियमों के अधीन अनुदत्त चलत उन्मोचन प्रमाणपत्र के धारक ने अवचार किया है या किसी ध्वज के किसी पोत पर कार्य करते समय पोत पर जीवन को संकटापन्न कर रहा है तो वह पोत परिवहन मास्टर को निदेश दे सकेगा कि ऐसे सीफेयरर का चलत उन्मोचन प्रमाणपत्र, ऐसी अवधि के लिए, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, रद्द या प्रत्याहृत या निलंबित हो जाएगा।
- (4) यदि पोत परिवहन मास्टर के पास यह विश्वास करने का कारण है कि इन नियमों के अधीन अनुदत्त चलत उन्मोचन प्रमाणपत्र के धारक ने मिथ्या या गलत सूचना देकर इसे प्राप्त किया है, वह ऐसे चलत उन्मोचन प्रमाणपत्र को तुरन्त रद्द करेगा।
- (5) यदि कोई व्यक्ति मिथ्या या जालसाज दस्तावेजों के साथ चलत उन्मोचन प्रमाणपत्र प्राप्त अभिप्राप्त करने के लिए आवेदन करता है, उसका आवेदन तुरन्त अस्वीकार किया जाएगा।
- (6) यदि अधिनियम के अधीन किसी प्राधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि चलत उन्मोचन प्रमाणपत्र में की गई प्रविष्टियां कूटरचित या मिथ्या प्रविष्टियां हैं तब ऐसा प्राधिकारी अपने निश्चायक निष्कर्षों और सबूत के साथ उसे ऐसे चलत उन्मोचन प्रमाणपत्र के रद्दकरण के लिए पोत परिवहन मास्टर को निर्दिष्ट करेगा।
- (7) यदि पोत परिवहन मास्टर को यह रिपोर्ट की जाती है या उसके द्वारा यह पता लगाया जाता है कि चलत उन्मोचन प्रमाणपत्र में की गई प्रविष्टियां कूटरचित या मिथ्या हैं तो वह तुरन्त ऐसे चलत उन्मोचन प्रमाणपत्र को रद्द करेगा।
- (8) यदि इस अधिनियम के अधीन किसी प्राधिकारी को यह रिपोर्ट की जाती है या उसके द्वारा यह पता लगाया जाता है कि सीफेयरर ने इस अधिनियम के अधीन मिथ्या या कूटरचित प्रमाणपत्र प्राप्त किया है तो पोत परिवहन मास्टर चलत उन्मोचन प्रमाणपत्र को रद्द करेगा।

(9) ऐसा कोई व्यक्ति, जिसका चलत उन्मोचन प्रमाणपत्र उप-नियम (1), उप-नियम (2), उप-नियम (3), उप-नियम (4), उप-नियम (6) उप-नियम (7) और उप-नियम (8) के अधीन रद्द किया जाता है और वह व्यक्ति, जिसका आवेदन उप-नियम (5) के अधीन अस्वीकार किया जाता है, पांच वर्ष की अवधि के लिए चलत उन्मोचन प्रमाणपत्र का आवेदन करने और अभिप्राप्त करने के लिए विवर्जित हो जाएगा और इस अवधि के दौरान चलत उन्मोचन प्रमाणपत्र प्रदान नहीं किया जाएगा।

(10) जहां चलत उन्मोचन प्रमाणपत्र रद्द या निलंबित कर दिया गया है या पूर्वोक्तानुसार कोई व्यक्ति विवर्जित किया गया है, वहां उसके लिए कारण उस व्यक्ति को लिखित में सूचित किए जाएंगे जिसको वह जारी किया गया था और, यथास्थिति, ऐसे रद्दकरण या निलंबन या विवर्जन के आदेश की प्रति भारत में सभी अन्य पोत परिवहन मास्टरों तथा पोत परिवहन महानिदेशक को पृष्ठांकित की जाएंगी।

(11) चलत उन्मोचन प्रमाणपत्र का, यथास्थिति, रद्दकरण, प्रत्याहरण या निलंबन से पूर्व चलत उन्मोचन प्रमाणपत्र धारक को लिखित में सूचित किया जाएगा और पोत परिवहन मास्टर के समक्ष अपना पक्ष रखने के लिए अवसर प्रदान किया जाएगा। पोत परिवहन मास्टर, चलत उन्मोचन प्रमाणपत्र धारक को, यथास्थिति, रद्दकरण, प्रत्याहरण या निलंबन के कारणों को भी लिखित में सूचित करेगा।

(12) यदि चलत उन्मोचन प्रमाणपत्र धारक समुद्री यात्रा सेवा को बन्द करना चाहता है और अपने चलत उन्मोचन प्रमाणपत्र के रद्दकरण का अनुरोध करता है तो उसे पोत परिवहन मास्टर द्वारा रद्द कर दिया जाएगा।

10. अपील.—(1) पोत परिवहन मास्टर द्वारा इन नियमों के अधीन किए गए किसी आदेश द्वारा व्यथित कोई आवेदक ऐसे आदेश की प्राप्ति के साठ दिन की अवधि के भीतर, अधिकारिता रखने वाले प्रधान अधिकारी, वाणिज्यिक समुद्री विभाग को अपील करेगा।

(2) अधिकारिता रखने वाले प्रधान अधिकारी, वाणिज्यिक समुद्री विभाग द्वारा इन नियमों के अधीन किए गए किसी आदेश से व्यथित व्यक्ति ऐसे आदेश की प्राप्ति के साठ दिन के भीतर पोत परिवहन महानिदेशक को अपील कर सकेगा।

(3) कोई अपील ग्रहण नहीं की जाएगी यदि अपील उप-नियम (1) या उप-नियम (2) के अधीन विहित अवधि की समाप्ति के पश्चात् की जाती है :

परंतु अपील, अवधि की समाप्ति के पश्चात् ग्रहण की जा सकेगी, यदि अपील प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी के पास विहित अवधि के भीतर अपील न करने के लिए पर्याप्त कारण था।

11. रद्द किए गए चलत उन्मोचन प्रमाणपत्र का अभिलेख आदि.—पोत परिवहन मास्टर चलत उन्मोचन प्रमाणपत्र का एक रजिस्टर रखेगा जिसे नियम 9 के अधीन रोक दिया गया है, रद्द कर दिया गया है, निलंबित कर दिया गया है।

12. चलत उन्मोचन प्रमाणपत्र की प्रतिलिपि का जारी किया जाना.—(1) जहां इन नियमों के अधीन जारी किसी व्यक्ति का चलत उन्मोचन प्रमाणपत्र गलत जगह रख दिया जाता है, नष्ट हो जाता है या विरूपित हो जाता है या विकृत हो जाता है या चलत उन्मोचन प्रमाणपत्र के पृष्ठ कमजोर हो जाते हैं, वहां ऐसा व्यक्ति चलत उन्मोचन प्रमाणपत्र की दो प्रतियों के जारी किए जाने के लिए सात सौ रुपये की फीस के साथ प्ररूप 3 में पोत परिवहन मास्टर को आवेदन करेगा।

(2) जहां किसी व्यक्ति का चलत उन्मोचन प्रमाणपत्र गुम हो जाता है और जिसकी समुचित शिकायत उसके द्वारा पुलिस को की गई है, ऐसा व्यक्ति प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (एफआईआर) और चलत उन्मोचन प्रमाणपत्र की प्रतिलिपि के जारी किए जाने के लिए फीस के साथ प्ररूप 3 में सम्बद्ध पोत परिवहन मास्टर को आवेदन कर सकेगा।

(3) जहां इन नियमों के अधीन जारी किया गया चलत उन्मोचन प्रमाणपत्र पोत पर काम करते समय खुले समुद्र में गुम हो जाता है और जहां इस सम्बन्ध में पोत के मास्टर द्वारा जांच और लॉग प्रविष्टि की गई है, वहां ऐसा व्यक्ति चलत उन्मोचन प्रमाणपत्र की प्रतिलिपि जारी किए जाने के लिए ऐसी जांच रिपोर्ट तथा लॉग प्रविष्टियों और फीस के साथ प्ररूप 3 में सम्बद्ध पोत परिवहन मास्टर को आवेदन कर सकेगा।



13. चलत उन्मोचन प्रमाणपत्र में दिए गए ब्यौरों में परिवर्तन.—(1) चलत उन्मोचन प्रमाणपत्र में दिए गए अनुसार नाविक के जन्म की तारीख के परिवर्तन के लिए कोई अनुरोध पोत परिवहन मास्टर द्वारा नगरपालिका से जन्म से सम्बन्धित प्रविष्टियों का प्रमाणित उद्घरण या जन्म या मृत्यु का अन्य रजिस्टर प्रस्तुत किए जाने पर अनुज्ञात किया जाएगा।
- (2) इन नियमों के अधीन अनुदत्त चलत उन्मोचन प्रमाणपत्र में नाम के परिवर्तन के लिए कोई अनुरोध पोत परिवहन मास्टर द्वारा चलत उन्मोचन प्रमाणपत्र की प्रतिलिपि जारी किए जाने के लिए सात सौ रुपये की फीस के साथ उस सम्बन्ध में राजपत्र अधिसूचना की प्रमाणित प्रति के प्रस्तुत किए जाने पर अनुज्ञात किया जाएगा।
14. चलत उन्मोचन प्रमाणपत्र की विवरणी.—पोत परिवहन मास्टर प्रत्येक तिमाही के आरम्भ पर पोत परिवहन महानिदेशक को प्ररूप 4 में पूर्ववर्ती तिमाही के दौरान अपने पत्तन से समुद्र नाविकों को जारी चलत उन्मोचन प्रमाणपत्र की संख्या की विवरणी प्रस्तुत करेगा।

#### प्ररूप - 1

[नियम 3 का उप-नियम (2) देखें]

चलत उन्मोचन प्रमाणपत्र के लिए आवेदन प्ररूप

1. अभ्यर्थी का नाम
2. पिता का नाम
3. लिंग
4. जन्म का तारीख
5. जन्म का स्थान
6. राष्ट्रीयता
7. इन्डोस नं.
8. इन्डोस जारी करने की तारीख
9. ऊंचाई (सेमी. में)
10. आंखों का रंग
11. पहचान चिन्ह (यदि कोई हो)
12. विधिमान्य पासपोर्ट संख्या
13. जारी करने की तारीख
14. जारी करने का स्थान
15. स्थायी पता
16. ई-मेल
17. टेलीफोन/मोबाइल नं.
18. निकट सम्बन्धी का नाम
19. आवेदक के साथ सम्बन्ध
20. निकट सम्बन्धी का पता
21. टेलीफोन नं.
22. एसटीसीडब्ल्यू सुपरिचय पाठ्यक्रम ब्यौरे, पाठ्यक्रम का नाम, प्रमाणपत्र संख्या, जारी करने की तारीख, संस्थान का नाम
23. परिवहन महानिदेशालय द्वारा अनुमोदित चिकित्सक दृष्टया योग्यता प्रमाणपत्र; चिकित्सक के लिए पोत परिवहन महानिदेशालय का अनुमोदन संख्यांक, चिकित्सक दृष्टया योग्यता प्रमाणपत्र के जारी किए जाने का स्थान, चिकित्सक दृष्टया योग्यता प्रमाणपत्र के जारी किए जाने की तारीख

**24. फीस के ब्यौरे:**

संदाय का ढंग : ई-संदाय

रकम :

**25. घोषणा:**

1. मैं घोषणा करता हूँ कि इस आवेदन में किए गए सभी कथन मेरे सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और पूर्ण हैं और कोई भी बात छिपाई नहीं गई है या उसका मिथ्या वर्णन नहीं किया गया है।
2. मैं यह प्रतिज्ञान और घोषणा करता हूँ कि मुझे पूर्व में कोई चलत उन्मोचन प्रमाणपत्र जारी नहीं किया गया है और मैंने भारत में किसी अन्य पोत परिवहन मास्टर को च.उ.प्र. के लिए आवेदन प्रस्तुत नहीं किया है।
3. मुझे ज्ञात है कि यदि किसी समय मेरे द्वारा कोई तात्त्विक जानकारी छिपाई गई या मिथ्यावर्णित की गई पायी जाती है और पोत परिवहन मास्टर के पास यह विश्वास करने का कारण है कि मैंने मिथ्या या गलत जानकारी देकर च.उ.प्र. अभिप्राप्त किया है, मेरा च.उ.प्र. यथा संशोधित वाणिज्य पोत परिवहन (चलत उन्मोचन प्रमाणपत्र) नियम, 2017 के नियम 9 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसार तुरन्त रद्द या निलंबित किया जाएगा।

स्थान.....

आवेदक के हस्ताक्षर.....

तारीख.....

आवेदक का नाम.....

**प्ररूप - 2**

[नियम 6 के उप-नियम (2) देखें]

भारत सरकार

संप्रतीक

चलत उन्मोचन प्रमाणपत्र

भारत सरकार

फोटो

सीफियरर का पूरा नाम

च.उ.प्र. संख्या

पोत परिवहन मास्टर का कार्यालय

जारी करने की तारीख

अवसान की तारीख

जन्म की तारीख

राष्ट्रीयता

लिंग

ऊंचाई सेमी. में

आंखों/बालों का रंग

इन्डोस नं.

पहचान चिन्ह

सीफियरर के हस्ताक्षर

[illegible]

## समुद्री यात्रा के ब्यौरे

क्र. सं.	पोत का नाम, शासकीय संख्या, अन्तर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (आईएमओ) संख्या, रजिस्ट्री का पत्तन, कि.वाट	नियुक्ति की तारीख और स्थान	उन्मोचन की तारीख और स्थान	सीफेयरर का रैंक	विदेशगामी यात्राओं/निकट तटीय यात्रा भारतीय तट का वर्णन	मुद्रा सहित मास्टर के हस्ताक्षर
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						

नवीकरण स्टीकर के लिए स्थान  
कार्यालय उपयोग के लिए स्थान

सीफेयरर का स्थायी पता

.....  
.....  
.....  
.....

टेलीफोन नं. (यदि कोई हो).....

ई-मेल (यदि कोई हो).....

सीफेयरर का निकट सम्बन्धी

नाम.....

सम्बन्ध.....

पता.....

.....

.....

.....

.....

टेलीफोन नं. (यदि कोई हो).....

ई-मेल (यदि कोई हो).....

### प्ररूप - 3

[नियम 12 के उप-नियम (1-4) देखें]

भारत सरकार

संप्रतीक

चलत उन्मोचन प्रमाणपत्र (च.उ.प्र.) के विधिमान्यकरण/उसकी प्रतिलिपि के लिए आवेदन प्ररूप

सीफेयरर का  
पासपोर्ट आकार  
(3.5 सेमी. X 3.5  
सेमी.) का फोटो



निम्नलिखित में से, जिसके लिए आवेदन करना चाहते हो — च.उ.प्र. का प्रवर्ग लिखें :-

(क) च.उ.प्र. का विधिमान्यकरण (च.उ.प्र. नवीकरण स्टीकर के लिए)

(ख) प्रतिलिपि में च.उ.प्र. (च.उ.प्र. के गुम होने के मामले के लिए), (फटे हुए/ विकृत/विरूपित/कमजोर पृष्ठ)

1. अभ्यर्थी का नाम (जैसा च.उ.प्र. में प्रविष्ट किया गया है).....

च.उ.प्र. के ब्यौरे : च.उ.प्र. सं.....

पोत परिवहन मास्टर का कार्यालय.....

जारी करने की तारीख.....

इन्डोस सं..... तारीख.....

2. प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सं..... तारीख.....

थाने का नाम..... जिला..... राज्य.....

(केवल मूल च.उ.प्र. के गुम हो जाने की दशा में दूसरी प्रति के लिए)

3. डाक द्वारा च.उ.प्र. प्राप्त करने का पता

मकान नं.....

गली.....

ग्राम/डाकखाना/तहसील.....

जिला.....

राज्य.....

पिन कोड.....

फोन नं एसटीडी कोड सहित.....

ई-मेल पता.....

मोबाइल नं.....

निकटतम थाना.....

4. निकट सम्बन्धी का नाम, सम्बन्ध और पता

निकट सम्बन्धी का नाम.....

सीफेयरर के साथ सम्बन्ध.....

मकान नं.....

गली.....

ग्राम/डाकखाना/तहसील.....

जिला.....

राज्य.....

पिन कोड.....

फोन नं एसटीडी कोड सहित.....

मोबाइल नं.....

निकटतम थाना.....

5. मूलभूत सुपरिचय पाठ्यक्रमों के ब्यौरे

वैयक्तिक उत्तरजीवी तकनीक (पीएसटी) या उत्तरजीवी क्राफ्ट या बचाव फलकों में दक्षता (पीएससीआरबी), अग्नि निवारण और अग्निशमन (एफपीएफएफ) या उन्नत अग्निशमन (एएफएफ), मौलिक प्राथमिक उपचार (ईएफए) या चिकित्सा प्रथम उपचार (एमएफए) या चिकित्सा देख-रेख (एमसी), वैयक्तिक सुरक्षा और सामाजिक उत्तरदायित्व (पीएसएसआर), पदाविहित सुरक्षा कर्तव्यों सहित समुद्री यात्रियों के लिए सुरक्षा प्रशिक्षण (एसटीएसडीएसडी) या पोत सुरक्षा कार्यालय (एसएसओ)

संस्थान का नाम.....

पी.एस.टी/पी.एस.सी.आर.बी. प्रमाणपत्र सं..... जारी करने की तारीख.....

संस्थान का नाम.....

एफपीएफएफ/एएफएफ प्रमाणपत्र सं..... जारी करने की तारीख.....

संस्थान का नाम.....

ईएफए/एमईए/एमसी प्रमाणपत्र सं..... जारी करने की तारीख.....

संस्थान का नाम.....

पीएसएसआर प्रमाणपत्र सं..... जारी करने की तारीख.....

संस्थान का नाम.....

एसटीएसडीएसडी/एसएसओ प्रमाणपत्र सं..... जारी करने की तारीख.....

6. पोत परिवहन महानिदेशालय से अनुमोदित चिकित्सा परीक्षक द्वारा चिकित्सक दृष्टया योग्यता प्रमाणपत्र

चिकित्सक का नाम.....

चिकित्सक के लिए पोत परिवहन महानिदेशालय की अनुमोदन सं.....

चिकित्सक दृष्टया योग्यता प्रमाणपत्र जारी करने का स्थान.....

चिकित्सक दृष्टया योग्यता प्रमाणपत्र जारी करने की तारीख.....

7. फीस के ब्यौरे:

संदाय का ढंग : ई-संदाय

रकम:

8. घोषणा:

i. मैं घोषणा करता हूँ कि इस आवेदन में किए गए सभी कथन मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और पूर्ण हैं और कोई भी बात छिपाई नहीं गई है/उसका मिथ्यावर्णन नहीं किया गया है, और

ii. मैं निवेदन करता हूँ कि मैं.....पोत परिवहन मास्टर के कार्यालय से जारी च.उ.प्र. का धारक हूँ; और मैं कथन करता हूँ कि मैं सम्बद्ध पोत परिवहन मास्टर कार्यालय से कभी भी विवर्जित नहीं हुआ हूँ और मुझे ज्ञात है कि यदि किसी समय मेरे द्वारा कोई तात्विक जानकारी छिपाई गई या मिथ्यावर्णित पायी जाती है और पोत परिवहन मास्टर के पास यह विश्वास करने का कारण है कि मैंने मिथ्या या गलत जानकारी प्रस्तुत करके च.उ.प्र. अभिप्राप्त किया है, मेरा च.उ.प्र. यथासंशोधित वाणिज्य पोत परिवहन (चलत उन्मोचन प्रमाणपत्र) नियम, 2017 के नियम 9 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसार तुरन्त रद्द/निलंबित किया जाएगा।

स्थान.....

आवेदक के हस्ताक्षर.....

स्थान.....

आवेदक का नाम.....

आवेदक के नमूना हस्ताक्षर (केवल दूसरी/प्रतिस्थापन सीडीसी के मामले में) (हस्ताक्षर नीचे दिए गए प्रत्येक बॉक्स तक सीमित हों)

1	2	3

संलग्नकों की सूची:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.

प्ररूप - 4

[नियम 14 देखें]

.....के पोस्ट पर.....समाप्त होने वाली तिमाही के दौरान नाविक को जारी चलत उन्मोचन प्रमाणपत्र के सम्बन्ध में विवरणी

जारी नए चलत उन्मोचन प्रमाणपत्रों की संख्या

.....  
जारी दूसरे चलत उन्मोचन प्रमाणपत्र की संख्या

.....  
जारी नवीकरण चलत उन्मोचन प्रमाणपत्र की संख्या

.....  
जारी प्रतिस्थापन चलत उन्मोचन प्रमाणपत्र की संख्या

.....

पोत परिवहन मास्टर

सेवा में,  
पोत परिवहन महानिदेशक, मुम्बई

[फा. सं. एल-11020/2/2016-एमए]

मदन मोहन हसीजा, सलाहकार

## MINISTRY OF SHIPPING

## NOTIFICATION

New Delhi, the 14th July, 2017

**G.S.R. 883(E).**—In exercise of the powers conferred by section 457 read with section 99 of the Merchant Shipping Act, 1958 (44 of 1958) and in supersession of the Merchant Shipping (Continuous Discharge Certificate-cum-Seafarers Identity Document) Rules, 2001, except as respects things are done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules, namely:

**1. Short title, commencement and application.**—(1) These rules may be called the Merchant Shipping (Continuous Discharge Certificate) Rules, 2017.

(2) They shall come into force after one hundred and eighty days from the date of their publication in the Official Gazette.

(3) They shall apply to Indian citizen, who fulfill the eligibility conditions specified under rule 4 of these rules.

**2. Definitions.**—(1) In these rules, unless the context otherwise requires, -

(a) "Act" means the Merchant Shipping Act, 1958 (44 of 1958);

(b) "Approved training institute" means an Approved Training Institute as defined under clause 8 of rule 4 of the Merchant Shipping (Standards of Training, Certification and Watch-keeping for Seafarers) Rules, 2014;

(c) "Form" means a form appended to these rules;

(d) "Principal Officer" means the Principal Officer of a port appointed under section 8 of the Merchant Shipping Act;

(e) "Shipping Master" means a shipping master of a port appointed under sub-section (1) of section 11 of the Act or such other officer as may be authorized by the Director General of Shipping.

(2) Words and expressions used in these rules and not defined but defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them.

**3. Application for Continuous Discharge Certificate.**—(1) A citizen of India who fulfils the eligibility conditions as specified in rule 4 and desirous to obtain a Continuous Discharge Certificate, shall apply to the Shipping Master.

(2) Every such application shall be in Form-1 appended to these rules and in the manner as may be specified by the Director General of Shipping.

**4. Eligibility for obtaining Continuous Discharge Certificate.**—(1) An applicant shall be a citizen of India.

(2) An applicant shall be medically fit and possess a valid certificate in the form prescribed under Annexure IV and V of the Merchant Shipping (Medical Examination) Rules, 2000, to the effect that he is medically fit to be employed on board ships.

(3) An applicant for issue of Continuous Discharge Certificate must have completed the following basic familiarisation courses in an approved training institute and hold a certificate to that effect, namely:-

(1). Personal Survival Techniques (PST) or Proficiency in survival craft and rescue boards (PSCRB).

(2). Fire Prevention and Fire Fighting (FPFF) or Advance Fire Fighting (AFF).

(3). Elementary First Aid (EFA) or Medical First Aid (MFA) or Medical Care (MC).

(4). Personal Safety and Social Responsibility (PSSR).

(5). Security Training for Seafarers with Designated Security Duties (STSDSD) or Ship Security Officer (SSO).

(4) An applicant shall not be less than eighteen years of age;

(5) An applicant must have passed Tenth Standard.

**5. Fee.**—(1) The fee for obtaining the Continuous Discharge Certificate or its reissue or renewal or duplicate shall be seven hundred rupees, which shall be non-refundable, payable to the Shipping Master. (2) The payment of fee may be revised by the Director General of Shipping, however the fee shall not exceed fifteen hundred rupees. (3) The said payment of fee shall be made by e-payment or as may be specified by the Director-General of Shipping.

**6. Issue of Continuous Discharge Certificate.**—(1) The Shipping Master shall, after the descriptive particulars of the applicant have been entered in and the photograph affixed to the Continuous Discharge Certificate, affix his signature and official seal and issue the same to the applicant, who fulfils all the eligibility conditions provided under rule 4.

(2) A Continuous Discharge Certificate issued under these rules shall be in Form-2 and shall be serially numbered.

(3) The Continuous Discharge Certificate (CDC) shall be dispatched within thirty days from the date of receipt of the application.

(4) In case of rejection of application, the reasons for rejection of the application shall be intimated to the applicant.

**7. Register of Continuous Discharge Certificate.**—The Shipping Master shall maintain a register of the counter folio of the Continuous Discharge Certificates issued to the seafarers.

**8. Period of Validity.**—(1) A Continuous Discharge Certificate issued under these rules shall be valid for a period of ten years and may be renewed on expiry or within one year prior to date of expiry, on an application in Form-3 from the holder along with the prescribed fee of rupees seven hundred to the Shipping Master for a further period of ten years at a time, if his Continuous Discharge Certificate has not been cancelled, withdrawn or suspended under these rules.

(2) If the period of validity of Continuous Discharge Certificate of a Seafarer expires during the voyage, it shall continue to be valid till the end of the voyage.

**9. Cancellation, withdrawal or suspension of a Continuous Discharge Certificate.**—(1) Where the Director General of Shipping is satisfied that a Seafarer has committed a misconduct of a nature specified in section 190 of the Act or on a report received by him that a seafarer has deserted his ship in the circumstances specified in section 192, or that he has been convicted of an offence of the nature referred to in sub-section (2) of section 195 of the Act, he may direct to the Shipping Master that Continuous Discharge Certificate of such seafarer shall be cancelled or withdrawn or suspended for such period as may be specified in the order;

(2) If a seafarer is guilty of an offence of committing any of the acts mentioned in section 194 of the Act or is convicted of an offence under any other law for the time being in force, the Director General may direct to the Shipping Master that Continuous Discharge Certificate of such seafarer shall be cancelled or withdrawn or suspended for such period as may be specified in the order.

(3) Where the Director General of Shipping is satisfied that the holder of a Continuous Discharge Certificate granted under these rules, committed a misconduct and or endangering life on ship while working on any ship on any flag, he may direct the Shipping Master that Continuous



Discharge Certificate of such seafarer shall be cancelled or withdrawn or suspended for such period as may be specified in the order.

(4) If the Shipping Master has reasons to believe that the holder of a Continuous Discharge Certificate granted under these rules has obtained the same by providing false or erroneous information, he shall cancel such Continuous Discharge Certificate forthwith;

(5) If a person applies for obtaining Continuous Discharge Certificate, with the false or fake documents, his application shall be rejected forthwith.

(6) If any authority under the Act has reason to believe that entries made in the Continuous Discharge Certificate are forged or false entries, then such authority shall with its conclusive findings and proof refer it to the Shipping Master for cancellation of such Continuous Discharge Certificate.

(7) If it is reported to or detected by the Shipping Master that the entries made in the Continuous Discharge Certificate forged or false, then he shall cancel such Continuous Discharge Certificate forthwith.

(8) If it is reported to or detected by any authority under the Act that the seafarer has obtained false or forged Certificates under the Act, the shipping master shall cancel the Continuous Discharge Certificate.

(9) A person whose Continuous Discharge Certificate is cancelled under sub-rules (1),(2),(3),(4),(6), (7) and (8) and a person whose application is rejected under sub-rule (5), shall be debarred for applying and obtaining Continuous Discharge Certificate for a period upto five years and shall not be granted Continuous Discharge Certificate during this period;

(10) Where the Continuous Discharge Certificate has been cancelled or suspended or a person debarred, as above, the reasons for the same shall be intimated in writing to the person to whom it was issued and a copy of the order of such cancellation or suspension or debarment as the case may be, shall be endorsed to all other Shipping Masters in India and the Director General of Shipping.

(11) Before cancellation, withdrawing or suspension of the Continuous Discharge Certificate as the case may be, the Continuous Discharge Certificate holder shall be intimated in writing and given an opportunity to represent his case before the Shipping Master. The Shipping Master shall also intimate in writing the reasons for cancellation, withdrawing or suspension, as the case may be to the Continuous Discharge Certificate holder.

(12) If a Continuous Discharge Certificate holder wishes to discontinue the sea service and request for cancellation of his Continuous Discharge Certificate, the same shall be cancelled by the Shipping Master.

**10. Appeal.**—(1) Any applicant aggrieved by any order made under these rules by the Shipping Master, may, within a period of sixty days of the receipt of such order, prefer an appeal to the jurisdictional Principal Officer, Mercantile Marine Department.

(2) Any applicant aggrieved by any order made under these rules by the jurisdictional Principal Officer, Mercantile Marine Department, may, within a period of sixty days of receipt of such order, prefer an appeal to the Director General of Shipping.

(3) No appeal shall be admitted, if it is preferred after the expiry of the period prescribed under sub-rule (1) or (2):

Provided that an appeal may be admitted after the expiry of period, if the appellate authority satisfies that the appellant had sufficient cause for not preferring the appeal within the prescribed period.

**11. Record of cancelled Continuous Discharge Certificate, etc.**—The Shipping Master shall maintain a register of Continuous Discharge Certificate which has been withheld, cancelled or suspended under rule 9.

**12. Issuance of Duplicate Continuous Discharge Certificate.**—(1) Where a Continuous Discharge Certificate of a person issued under these rules, is mislaid, destroyed, defaced or mutilated or the pages of the Continuous Discharge Certificate are exhausted, such person shall apply to the Shipping Master in Form-3 alongwith a fee of seven hundred rupees for issuance of a duplicate copy of the Continuous Discharge Certificate;

(2) Where a Continuous Discharge Certificate of a person is lost and where a proper complaint has been made by him with the Police, such person may apply to the Shipping Master concerned in Form-3 along with a copy of the First Information Report (FIR) and fee for issuance of a duplicate copy of Continuous Discharge Certificate;

(3) Where a Continuous Discharge Certificate issued under these rules is lost at high seas while working on a ship and where an enquiry and log entry has been made by the Master of the ship in that respect, such person may apply to the Shipping Master concerned in Form-3 alongwith such enquiry report and log entries, and fee, for issuance of a duplicate copy of Continuous Discharge Certificate.

**13. Alteration in the details provided in the Continuous Discharge Certificate.**—(1) Any request for alteration of the date of birth of a seaman as given in the Continuous Discharge Certificate, shall be allowed to be made by the Shipping Master on production of either certified extract of entries relating to birth from the Municipal or other Register of Births and Deaths;

(2) Any request for change of name in the Continuous Discharge Certificate granted under these rules shall be allowed to be made by the Shipping Master on production of a certified copy of Gazette Notification in that respect together with fee of seven hundred rupees for issue of duplicate copy of Continuous Discharge Certificate.

**14. Returns of Continuous Discharge Certificate.**—The Shipping Master shall, at the beginning of each quarter furnish to the Director General of Shipping a return of the number of Continuous Discharge Certificate issued to seafarers from his port during the previous quarter in Form -4.

#### FORM-1

[See sub- rule (2) of rule 3]

#### Application Form for Continuous Discharge Certificate

1. Name of the Candidate
2. Father's name
3. Sex
4. Date of birth
5. Place of birth
6. Nationality
7. INDOS No.
8. INDOS issue date
9. Height (in Cms.)

10. Colour of eyes
11. Identification marks (if any)
12. Valid passport No.
13. Date of issue
14. Place of issue
15. Permanent address
16. E-mail
17. Tel./Mobile No.
18. Name of next-of-kin
19. Relationship with the applicant
20. Address of next-of-kin
21. Tel.No.
22. STCW familiarization course details; Name of the course, Certificate No., Date of issue, Name of the institute
23. Medical fitness certificate by the DGS approved medical examiner; Name of the doctor, DGS approval No. for doctor, Place of issue of medical fitness certificate, Date of issue of medical fitness certificate.
24. Details of fee;  
Mode of payment : e-payment  
Amount :

25. Declaration;

1. I hereby declare that all the statements made in this application are true and complete to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed/ distorted.
2. I also affirm and declare that I have not previously been issued with a Continuous Discharge Certificate and I have not submitted an application for CDC to any other Shipping Master in India.
3. I am aware that, if at any time, I am found to have concealed/distorted any material information and the Shipping Master has reasons to believe that I have obtained the CDC by presenting false or erroneous information, my CDC will be cancelled/suspended forthwith as per the provisions contained in Rule 9 of the Merchant Shipping (Continuous Discharge Certificate) Rules, 2017, as amended.

Place: .....

Signature of the Applicant .....


Date: .....

Name of the Applicant .....

## FORM-2

[See sub- rule (2) of rule 6]

GOVERNMENT OF INDIA



## CONTINUOUS DISCHARGE CERTIFICATE

GOVERNMENT OF INDIA

photo

Name of Seafarer in full

CDC No.

Shipping Master Office

Date of issue

Date of expiry

Date of birth

Nationality

Sex

Height in Cms


Colour of eyes/hair

INDOS No.

Identification mark

Seafarer's Signature

GOVERNMENT OF INDIA




This Continuous Discharge Certificate is issued under Merchant Shipping (Continuous Discharge Certificate) Rules 2017 as amended and is in conformity with the International Labour Organisation Convention No. 108 of 1958.

Signature of issuing authority

Name

Designation



#### Details of certificates

Name of the Certificate	Number	Date and Place of issue

#### Details of Voyages

Sr. No.	Name of Ship, Official No., International Maritime Organisation (IMO) No., Port of Registry, Kw.	Date and place of Engagement	Date and place of Discharge	Rank of Seafarer	Description of Voyages Foreign Going/Near Coastal Voyage Indian Coastal	Signature of Master with seal
(1)						
(2)						
(3)						



(4)						
(5)						
(6)						
(7)						
(8)						
(9)						
(10)						
(11)						
(12)						
(13)						
(14)						
(15)						
(16)						
(17)						
(18)						
(19)						
(20)						
(21)						
(22)						
(23)						
(24)						

Space for Renewal Sticker

Space for official Use

PERMANENT ADDRESS OF SEAFARER

-----

-----

-----

-----

Tel. No. (If any) \_\_\_\_\_

E-mail (if any) \_\_\_\_\_

## NEXT OF KIN OF SEAFARER

Name \_\_\_\_\_

Relationship \_\_\_\_\_

Address \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_


Tel. No. (If any) \_\_\_\_\_

E-mail (if any) \_\_\_\_\_

## FORM-3

[See sub- rule 1-4 of rule 12]

GOVERNMENT OF INDIA

APPLICATION FORM FOR REVALIDATION/DUPLICATE CONTINUOUS  
DISCHARGE CERTIFICATE (CDC)

Passport Size  
(3.5 cm X 3.5  
cm) photograph  
of seafarers

Write the category of CDC –amongst the following to which apply:

- a) REVALIDATION OF CDC ( For CDC Renewal Sticker)
- b) DUPLICATE CDC (For the case of loss of CDC), ( For the CDC which are torn/mutilated /defaced /pages exhausted)

1. Name of the Candidate (as entered in CDC) \_\_\_\_\_

Details of CDC: CDC No. \_\_\_\_\_

Shipping Master Office: \_\_\_\_\_

Date of issue: \_\_\_\_\_

INDOS No. \_\_\_\_\_ Date: \_\_\_\_\_

2. FIR No: \_\_\_\_\_ Dated: \_\_\_\_\_

Name of Police Station: \_\_\_\_\_ Distt: \_\_\_\_\_ State: \_\_\_\_\_

(Only for duplicate CDC in case of loss of original CDC)

3. Address to receive CDC by POST:

House No. \_\_\_\_\_

Street \_\_\_\_\_

Village/Post office/Tehsil \_\_\_\_\_

District: \_\_\_\_\_

State: \_\_\_\_\_

PIN Code: \_\_\_\_\_

Phone No. with STD Code: \_\_\_\_\_

E-mail Addressed: \_\_\_\_\_

Mobile No. \_\_\_\_\_

Nearest Police Station \_\_\_\_\_

4. Name, relationship & address of Next-of-Kin:

Name of Next of Kin \_\_\_\_\_

Relationship with Seafarer \_\_\_\_\_

House No. \_\_\_\_\_

Street: \_\_\_\_\_

Village/Post office/Tehsil \_\_\_\_\_

District \_\_\_\_\_

State \_\_\_\_\_ PIN Code \_\_\_\_\_

Phone No. with STD Code \_\_\_\_\_

Mobile No. \_\_\_\_\_

Nearest Police Station \_\_\_\_\_

5. Details of basic familiarisation courses:

Personal Survival Techniques (PST) or Proficiency in survival craft and rescue Boards (PSCRB), Fire Prevention and Fire Fighting (FPFF) Advance Fire Fighting (AFF), Elementary First Aid (EFA) or Medical First Aid (MFA) or Medical Case (MC), Personal Safety and Social Responsibilities (PSSR), Security Training for Seafarers with Designated Security Duties (STSDSD) or Ship Security Offices.

Name of Institute: \_\_\_\_\_

P.S.T./P.S.C.R.B. Cert. No. \_\_\_\_\_ Date of issue \_\_\_\_\_

Name of Institute \_\_\_\_\_

FPFF/AFF Cert. No. \_\_\_\_\_ Date of issue \_\_\_\_\_

Name of the Institute \_\_\_\_\_

EFA/MEA/MC Cert. No. \_\_\_\_\_ Date of issue \_\_\_\_\_

Name of the Institute \_\_\_\_\_

PSSR Cert. No. \_\_\_\_\_ Date of issue \_\_\_\_\_

Name of Institute \_\_\_\_\_

STSDSD/SSO Certificate No. \_\_\_\_\_ Date of issue \_\_\_\_\_

6. Medical fitness certificate by the DGS approved medical examiner;

Name of the doctor: \_\_\_\_\_

DGS approval No. for doctor,: \_\_\_\_\_

Place of issue of medical fitness certificate: \_\_\_\_\_

Date of issue of medical fitness certificate.: \_\_\_\_\_

7. Details of fee;

Mode of payment: e-payment

Amount :

8. Declaration;

i. I hereby declare that all the statements made in this application are true and complete to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed/ distorted, and

ii. I hereby submit that I am the holder of CDC No. \_\_\_\_\_ issued from the Office of \_\_\_\_\_ Shipping Master: and

I hereby submit that I have never been debarred from the concerned Shipping Master Office and I am aware that, if at any time, I am found to have concealed/distorted any material information and the Shipping Master has reasons to believe that I have obtained the CDC by presenting false or erroneous information, my CDC will be cancelled/suspended forthwith as per the provisions contained in Rule 9 of the Merchant Shipping (Continuous Discharge Certificate) Rules, 2017, as amended.

Place: .....

Signature of the applicant \_\_\_\_\_

Date: .....

Name of the Applicant .....

## SPECIMEN SIGNATURE OF THE APPLICANT (Only in case of Duplicate/Replacement CDC)

(Signatures are to be confined to each of the boxes)

1	2	3

List of enclosures:

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6

## FORM-4

(See rule-14)

Return in respect of Continuous Discharge Certificate issued to seamen during the quarter ending..... at the post of .....

No. of fresh Continuous Discharge Certificates

No. of Duplicate Continuous Discharge Certificate

Issued.....

No. of Renewal Continuous Discharge Certificate

Issued.....

No. of Replacement Continuous Discharge Certificate

Issued.....

SHIPPING MASTER

To,

The Director General of Shipping, Mumbai.

[F. No. L-11020/2/2016-MA]

M. M. HASIJA, Adviser.